परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली

अध्याय 1

1.1 प्रस्तावना

परिवहन विभाग, केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (मोटर वाहन अधिनियम), केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989, हरियाणा मोटर वाहन अधिनियम, 2016 और हरियाणा मोटर वाहन नियम, 2016 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करता है। मोटर वाहन अधिनियम में राज्य सरकारों पर एक कुशल सार्वजनिक परिवहन प्रणाली प्रदान करने, वाहनों के पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने, सड़क परमिट, वाहनों के फिटनेस प्रमाण-पत्र और सड़क करों के संग्रहण की जिम्मेदारी निहित है। विभाग की प्रमुख प्राप्तियां[1] माल ढुलाई, स्टेज कैरिज, अनुबंध कैरिज और निजी सेवा वाहनों से आती हैं। वाहनों के पंजीकरण, परमिटों, वाहनों के फिटनेस प्रमाण-पत्रों और मोटर वाहन करों के संग्रहण से संबंधित कार्य वाहन[2] एप्लिकेशन के माध्यम से किए जाते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने और लाइसेंसों के नवीनीकरण से संबंधित कार्य सारथी[3] एप्लिकेशन के माध्यम से किए जाते हैं।

हरियाणा रोडवेज (रोडवेज), राज्य सरकार का उपक्रम है, जिसे परिवहन विभाग के वाणिज्यिक विंग के रूप में नवंबर 1966 में गठित किया गया था, राज्य में यात्री परिवहन के लिए प्रमुख सेवा प्रदाता है। इसके पास 24 डिपुओं द्वारा संचालित लगभग 3,592 बसों (31 मार्च 2020 तक) का बेड़ा है, जिनमें से प्रत्येक की अध्यक्षता महाप्रबंधक द्वारा की जाती है और संबंधित डिपुओं के अंतर्गत 13 उप-डिपो कार्यरत हैं। ये सेवाएं राज्य के हर हिस्से के साथ-साथ पड़ोसी राज्यों के महत्वपूर्ण स्थलों के लिए प्रदान की जा रही हैं। 2015-20 की अवधि के दौरान बसों ने प्रतिदिन औसतन 11.64 लाख किलोमीटर की दूरी तय की। राज्य सरकार निजी ऑपरेटरों को भी सार्वजनिक परिवहन प्रदान करने की अनुमति देती है। सरकार ने कुछ मार्गों को विशेष रूप से रोडवेज के लिए और कुछ मार्गों को सहकारी क्षेत्र में निजी ऑपरेटरों के लिए आरक्षित किया है। किराया संरचना सरकार द्वारा नियंत्रित होती है जो रोडवेज और निजी ऑपरेटरों दोनों के लिए समान है।

1.2 संगठनात्मक संरचना

प्रधान सचिव, परिवहन, परिवहन विभाग के प्रशासनिक प्रमुख हैं। परिचालन विंग की अध्यक्षता निदेशक, राज्य परिवहन द्वारा की जाती है जिसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। निदेशक की सहायता के लिए मुख्यालय में दो अपर परिवहन आयुक्त और

---

1 मोटर वाहनों पर कर, मोटर वाहनों के पंजीकरण के लिए फीस, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना और रोड परमिट आदि।

2 वाहन, राष्ट्रीय परिवहन परियोजना के अंतर्गत प्रमुख ई-गवर्नेंस एप्लिकेशन है।

3 सारथी, राष्ट्रीय परिवहन परियोजना के अंतर्गत प्रमुख ई-गवर्नेंस एप्लिकेशन है।

छः अधिकारी[4] हैं, महाप्रबंधक क्षेत्रीय स्तर पर 24 डिपो का नेतृत्व करते हैं। प्रत्येक महाप्रबंधक संबंधित डिपो का समग्र प्रभारी होता है जो अपने डिपो में बेड़े के संचालन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है।

बस बॉडी बिल्डिंग का संचालन मुख्य रूप से परिवहन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी, हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के माध्यम से किया जाता है।

राज्य परिवहन आयुक्त की अध्यक्षता वाली नियामक विंग सभी नीतिगत मामलों और लागू अधिनियमों एवं नियमों के प्रबंधन से संबंधित कार्य करती है। राज्य परिवहन आयुक्त की सहायता के लिए मुख्यालय स्तर पर एक सहायक परिवहन आयुक्त सहित सचिव और उप-मंडल अधिकारी होते हैं। प्रत्येक जिले में एक सचिव की अध्यक्षता में 22 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों के कार्यालय हैं। परिवहन वाहनों के पंजीकरण, वाणिज्यिक वाहनों को परमिट जारी करने, ड्राइविंग लाइसेंस, कंडक्टर लाइसेंस जारी करने, विभिन्न करों के उद्ग्रहण एवं संग्रहण और लागू अधिनियम के प्रवर्तन हेतु क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी उत्तरदायी हैं। निजी उपयोग (गैर-परिवहन) के लिए वाहनों के पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस लर्नर/नियमित जारी करने के लिए 73 उप-मंडल अधिकारियों (सिविल) को पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकारियों के रूप में अधिसूचित किया गया है।

1.3 परिचालन और नियामक विंग के कार्य

परिचालन विंग के निम्नलिखित उत्तरदायित्व हैं:

- पुरानी बसों को हटाकर और लग्जरी बसों सहित नई बसों को शामिल करके जनता को कुशल बस सेवाएं प्रदान करना;
- पर्यावरण के अनुकूल बसों की संरचना और पेश करना;
- निजी वाहनों के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए बड़े शहरों में सिटी बस सेवाएं प्रदान करना;
- आधुनिक बस टर्मिनलों, बस क्यू शेल्टरों का निर्माण और कार्यशालाओं का आधुनिकीकरण करना;
- सूचना प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी और नियंत्रण प्रणाली प्रदान करना; तथा
- ड्राइवरों और कंडक्टरों तथा अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना।

[4] वरिष्ठ यांत्रिक अभियंता, संयुक्त परिवहन आयुक्त (तकनीकी), मुख्य लेखा अधिकारी, उप-परिवहन नियंत्रक (यातायात), उप-परिवहन नियंत्रक (योजना और संरचना), उड़न दस्ता अधिकारी (यातायात)।

नियामक विंग निम्नलिखित कार्य करता है:

- मोटर वाहनों का पंजीकरण;
- मोटर वाहनों के फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी करना;
- परिवहन वाहनों को परमिट प्रदान करना/नवीकरण करना;
- ड्राइविंग और कंडक्टर लाइसेंस जारी करना;
- ड्राइविंग स्कूलों को लाइसेंस जारी करना;
- प्रदूषण जांच केन्द्रों को अनुमति प्रदान करना;
- स्टेज कैरिज योजनाएं[5] बनाना;
- सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना;
- करों और फीसों का संग्रहण; तथा
- मोटर वाहनों के चालकों द्वारा किए गए अपराधों के संबंध में प्रावधानों का प्रवर्तन।

1.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह निर्धारित करने के लिए की गई थी कि क्या:

- परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए परिचालन और वित्तीय योजना विभाग द्वारा तैयार और कुशलतापूर्वक कार्यान्वित की गई थी;
- परिचालन विंग कुशल, किफायती, विश्वसनीय, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन सेवाएं प्रदान कर रहा था;
- सरकारी राजस्व का उद्ग्रहण, निर्धारण, संग्रहण और प्रेषण मौजूदा अधिनियम/ नियमों/प्रक्रियाओं के अनुसार कुशलतापूर्वक किया गया था;
- सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए प्रवर्तन कार्य कुशलतापूर्वक किए गए थे; तथा
- विभाग के कुशल कार्यचालन को सुनिश्चित करने के लिए विभाग में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली मौजूद थी।

[5] हरियाणा में कुछ मार्गों पर बेरोजगार युवाओं की सहकारी समितियों को स्टेज कैरिज परमिट प्रदान करने की योजना।

1.5 लेखापरीक्षा मानदंड

निष्पादन लेखापरीक्षा निम्नलिखित अधिनियमों, नियमों, मानदंडों और समय-समय पर सरकार/प्रबंधन द्वारा जारी निर्देशों के प्रावधानों के संदर्भ में आयोजित की गई है:

परिचालन विंग

- राज्य सड़क परिवहन उपक्रम संघ[6] द्वारा निर्धारित निष्पादन मानक और परिचालन मानदंड;
- प्रबंधन द्वारा निर्धारित भौतिक और वित्तीय लक्ष्य/मानदंड;
- विनिर्माताओं के विनिर्देश, बस के जीवन के लिए मानदंड, निवारक रखरखाव अनुसूची, ईंधन दक्षता मानदंड, आदि;
- भारत सरकार और राज्य सरकार के निर्देश तथा अन्य प्रासंगिक नियम और विनियम; और
- केंद्रीय सड़क परिवहन संस्थान, पुणे[7] द्वारा निर्धारित निष्पादन मानकों के लिए अखिल भारतीय औसत।

नियामक विंग

- मोटर वाहन अधिनियम, 1988;
- केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989;
- वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981;
- हरियाणा मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 2016;
- हरियाणा मोटर वाहन कराधान नियम, 2016;
- हरियाणा सड़क सुरक्षा निधि नियम, 2018; तथा
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार तथा परिवहन विभाग, हरियाणा द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाएं, परिपत्र, आदेश, दिशानिर्देश, नियमावली।

---

6 राज्य सड़क परिवहन उपक्रम संघ, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तत्वावधान में कार्य करने वाला एक शीर्ष समन्वय निकाय है।

7 राज्य परिवहन उपक्रम प्रोफाइल और निष्पादन (2017-18)

1.6 लेखापरीक्षा का क्षेत्र और पद्धति

2015 से 2020 की अवधि के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा सितंबर 2020 और अगस्त 2021 के मध्य आयोजित की गई थी। परिवहन विभाग का परिचालन विंग परिचालन दक्षता, वित्तीय प्रबंधन, किराया नीति, गैर-यातायात प्राप्तियों अर्थात् दुकानों एवं बूथों से प्राप्तियों और विभाग के शीर्ष प्रबंधन द्वारा निगरानी से संबंधित कार्य करता है। परिचालन विंग में 24[8] डिपो थे, प्रत्येक डिपो महाप्रबंधक की अध्यक्षता में कार्य कर रहा था और संबंधित डिपो के अंतर्गत 13[9] उप-डिपो कार्य कर रहे थे। लेखापरीक्षा जांच में निदेशक, राज्य परिवहन, हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन और 24 डिपो में से आठ[10] डिपो के अभिलेखों की संवीक्षा शामिल थी, जिनका चयन मानदंड अर्थात् कोविड-19 महामारी को देखते हुए उच्चतम राजस्व संग्रहण जिले, सबसे प्रदूषित जिले और आसपास के जिले, के आधार पर किया गया था।

परिवहन विभाग का नियामक विंग सरकारी राजस्व के उद्ग्रहण, निर्धारण, संग्रहण और प्रेषण आदि से संबंधित कार्य करता है। नियामक विंग के संबंध में लेखापरीक्षा जांच में राज्य परिवहन आयुक्त, हरियाणा और 24 जिलों में से आठ[11] जिलों के अभिलेखों की संवीक्षा शामिल थी, जिनका चयन मानदंड अर्थात् कोविड-19 महामारी को देखते हुए उच्चतम राजस्व संग्रहण जिले, सबसे प्रदूषित जिले और आसपास के जिले, के आधार पर किया गया था। नियामक विंग की लेखापरीक्षा के दौरान 2015-16 से 2019-20 की अवधि के अभिलेखों की नमूना-जांच की गई थी और वाहन एप्लिकेशन पर डेटा के साथ प्रति सत्यापन किया गया।

चयनित पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकरण/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के डेटा की आपूर्ति सेंटर फॉर डाटा मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा की गई थी और चयनित इकाइयों के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान तथ्यों एवं आंकड़ों को 15 मानकों पर सत्यापित किया गया था। इन 15 मानकों के आधार पर लेखापरीक्षा परिणामों को प्रतिवेदन में उपयुक्त स्थानों पर शामिल किया गया है। इसके अलावा, नियमित लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए चयनित जिले से संबंधित इसी तरह के लेखापरीक्षा परिणामों को भी प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

---

8 अंबाला, भिवानी, चंडीगढ़, चरखी दादरी, दिल्ली, फरीदाबाद, फतेहाबाद, फरीदाबाद (सिटी बस सेवा), हिसार, झज्जर, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, नारनौल, नूंह, पलवल, पंचकुला, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत और यमुनानगर।

9 असंध, बहादुरगढ़, डबवाली, गोहाना, हांसी, कालका, लोहारू, नारायणगढ़, नरवाना, पेहोवा, सफीदों, टोहाना और तोशाम।

10 (i) अंबाला, (ii) फरीदाबाद, (iii) गुरुग्राम, (iv) कैथल, (v) करनाल, (vi) कुरुक्षेत्र, (vii) पंचकुला और (viii) यमुना नगर।

11 (i) अंबाला, (ii) फरीदाबाद, (iii) गुरुग्राम, (iv) कैथल, (v) करनाल, (vi) कुरुक्षेत्र, (vii) पंचकुला और (viii) यमुना नगर।

हरियाणा सरकार के प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, परिवहन आयुक्त और निदेशक के कार्यालय के अधिकारियों के साथ दिनांक 4 सितंबर 2020 को एंट्री कांफ्रेंस आयोजित की गई थी, जिसमें लेखापरीक्षा पद्धति, कार्यक्षेत्र, उद्देश्यों और मानदंडों पर चर्चा की गई और अंतिम रूप दिया गया था। निष्पादन लेखापरीक्षा के मध्यावधि मूल्यांकन के लिए प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग के साथ दिनांक 25 फरवरी 2021 को एक बैठक भी आयोजित की गई थी।

हरियाणा सरकार के प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, अपर परिवहन आयुक्त के साथ परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ दिनांक 3 दिसंबर 2021 को एग्जिट कांफ्रेंस आयोजित की गई थी जिसमें लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर चर्चा की गई थी। एग्जिट कांफ्रेंस के विचार-विमर्श और लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के उत्तरों को प्रतिवेदन में उचित रूप से शामिल किया गया है। तथापि, विभाग ने लेखापरीक्षा परिणामों का कोई औपचारिक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

1.7 लेखापरीक्षा परिणामों का संगठन

अध्याय 2 में परिवहन विभाग के परिचालन विंग से संबंधित लेखापरीक्षा परिणामों को शामिल किया गया है। अध्याय 3 में नियामक विंग से संबंधित लेखापरीक्षा परिणामों को शामिल किया गया है तथा अध्याय 4 आंतरिक नियंत्रण पर है और अध्याय 5 लेखापरीक्षा निष्कर्षों से संबंधित है।